सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र
नई दिल्ली

'प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में विद्यालयों की भूमिका' विषय पर कार्यशाला के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करते समय कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए :

1. **प्रतिनियुक्त शिक्षकों की आयु 52 वर्ष तक की होनी चाहिए।** (पंजीकरण के समय जन्मतिथि का प्रमाण देना आवश्यक है)
2. **कार्यशाला केवल सेवारत सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षकों के लिए है जो कक्षा 6 से 12 तक भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित विज्ञान, ललित कला, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, संगीत आदि विषय पढ़ते हों** एवं प्रशिक्षण के लिए योग, शारीरिक शिक्षा और SUPW विषयों से संबंधित शिक्षक के नाम की अनुशंसा नहीं की जानी चाहिए।
3. विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्राधानाचार्य को कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
4. जो शिक्षक आपके रिकार्ड के अनुसार सीसीआरटी द्वारा आयोजित 'प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में विद्यालयों की भूमिका' विषय पर कार्यशाला में पहले भाग ले चुके है उन्हें दोबारा प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
5. कोई भी संविदा या अस्थाई शिक्षक जैसे शिक्षा-कर्मी, शिक्षा-बन्धु, शिक्षा-मित्र, शिक्षक सुविधा प्रदाता, संविदा शिक्षक आदि प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
6. चूंकि देश के विभिन्न भागों से आए हुए शिक्षकों के लाभ के लिए विशेषज्ञ द्विभाषी अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में अपना व्याख्यान देंगे इसलिए प्रतिभागियों को अंग्रेजी की समझ एवं उसमें काम करना आना चाहिए।
7. कार्यशाला में कैम्प का वातावरण रहेगा और यह लंबी अवधि के लिए होगा अत: शिक्षकों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।
8. कार्यशाला में एक समय में एक विद्यालय से एक ही शिक्षक प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए।
9. कोई भी प्रतिनियुक्त शिक्षक किसी भी परिस्थिति में अपने साथ किसी साथी/परिवार के सदस्यों को नहीं ला सकते हैं।
10. आपका प्रतिनियुक्ति आदेश अंतिम आदेश माना जाएगा और सीसीआरटी किसी व्यक्ति के लिए चयन पत्र जारी नहीं करेगा।
11. सीसीआरटी के साथ पत्राचार के लिए हमारा संदर्भ पत्र संख्या और तारीख अवश्य उद्धृत किया जाना चाहिए।

कार्यशाला के पहले दिन पंजीकरण के लिए और कार्यशाला के अंतिम दिन वाहन भत्ता के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अलग कागज पर लाना जरूरी है :

1. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र
2. स्कूल से कार्य मुक्त प्रमाण-पत्र
3. मूल वेतन प्रमाण-पत्र
4. कैंसिल चेक/ पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति

4\. दो पासपोर्ट आकार की फोटो

5\. टिकट/टिकट संख्या (आने की यात्रा की मूल प्रति और वापसी की यात्रा की फोटो कॉपी)। आने जाने का टिकट सबसे छोटे मार्ग का और हकदार कक्ष का होना चाहिए।

चूंकि यह विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्रतिनियुक्त शिक्षकों के लिए एक साथ रहने, एक दूसरे से बातचीत करने और एक मंच साझा करने का एक अच्छा अवसर है इसलिए सम्भव हो तो उन्हें अपने विषयों की पाठ्य पुस्तकें एवं अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सामाजिक विज्ञान पुस्तकों को साथ में लाने के लिए कहा जा सकता है।

प्रतिभागी शिक्षकों को अपना क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया जाएगा। इसलिए प्रतिनियुक्त शिक्षक से वेशभूषा, नृत्यों, लोकगीतों और सांस्कृतिक मूल्यों की अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को लाने का भी अनुरोध किया जाता है। इन वस्तुओं को कार्यशाला के दौरान वे अपने अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सहयोगियों के साथ साझा कर सकते हैं।

चूंकि कम समय में कन्फर्म रिटर्न आरक्षण प्राप्त करना कठिन है इसलिए हम सुझाव देना चाहेंगे कि प्रतिनियुक्त शिक्षक अपना 'रिटर्न रिजर्वेशन'अपने मुख्यालय से पहले ही करवा लें।